दिनाक 07.01.2021
प्रेस विज्ञप्ति–07/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा शरीर सम्बन्धी अपराधो के रोकथाम हेतु और अधिक प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को शरीर सम्बन्धी अपराधों, वैमनस्यता/गुटबन्दी के कारण हत्या जैसे अपराधों पर प्रभावी रोकथाम/अंकुश लगाने हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र एवं समय–समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्य योजना तैयार कर और अधिक प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश दिये गये :–

- क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों द्वारा समस्त ग्रामो/मोहल्लो का भ्रमण कर इस बात की समीक्षा कर ली जाय कि कही किसी प्रकार की गुटबन्दी वैमनस्यता तो नहीं है। यदि वैमनस्यता/गुटबन्दी परिलक्षित होती है, तो तत्काल आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- हत्या के अभियोग में समस्त वॉछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये। फरार अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 82/83 द0प्र0सं0 के तहत नियमानुसार कार्यवाही तथा आवश्यकतानुसार साक्ष्यों के आधार पर रासुका, गैंगेस्टर एक्ट व शस्त्रो के निस्त्रीकरण की कार्यवाही की जाये।
- हत्या के ऐसे अभियोग जिनका अनावरण नहीं हुआ है, उनका क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में अनावरण की कार्यवाही सम्बन्धित थाना प्रभारियों द्वारा सुनिश्चित की जाये।

- हत्या सम्बन्धी अभियोगो की विवेचना का पर्यवेक्षण गहनता से करते हुये समय से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाये। महत्वपूर्ण मामलो को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगवाकर प्रभावी पैरवी कराते हुये मा0न्यायालय से अभियुक्तो को सजा दिलायी जाय। पुराने रंजिश/विवाद में सक्रिय भाग लेने वाले, हिंसा का सहारा लेने वाले तथा अपराधिक तत्वो का सहयोग लेने वालो को चिन्हित कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।
- अपराधिक छवि के व्यक्तियों पर सर्तक दृष्टि रखी जाय। यदि पूर्व में हत्या आदि जघन्य अपराध में जमानत पर हो तो उनके जमानत निरस्तीकरण पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
- बीट प्रणाली को और प्रभावी बनाते हुये महत्वपूर्ण सूचनाओं के संग्रहण हेतु थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाये।
- थाना क्षेत्र के प्रत्येक रंजिश/विवादो का अंकन ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में कर लिया जाय तथा स्थलीय निरीक्षण भी किया जाय। वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाये।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा समय—समय पर समीक्षा कर निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

जनपद कानपुर नगर/थाना सजेती

- **बिकरू काण्ड में वॉछित 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद**

दिनांक 07.01.2021 को थाना सजेती पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नोन नदी पुल के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी विपुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर बिकरू हत्या काण्ड के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0—192/2020 धारा 147/148/149/307/395/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सजेती पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

विपुल निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी—:

01—01 मोटर साइकिल बिना नम्बर

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस

जनपद बागपत/थाना बड़ौत

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07.01.2021 को थाना बड़ौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बावली नहर झाल पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी आदित्य उर्फ गोलू घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर , 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अजीत उर्फ हप्पू गैंग का शातिर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो मे हत्या, हत्या का प्रयास, लूट आदि के लगभग डेढ दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना बड़ौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0—557/2020 धारा 323/307/506 भादवि व मु0अ0सं0—811/2020 धारा 307/323/504/506 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

आदित्य उर्फ गोलू निवासी बावली थाना बड़ौत जनपद सम्भल ।

बरामदगीः—

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर , 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2—01 मोटर साइकिल

एसटीएफः जनपद मऊ से वांछित रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित दुर्दान्त हत्यारे/शातिर लुटेरे को एसटीएफ उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 06–01–2021 को एसटीएफ, उ0प्र0 को थाना मधुबन, जनपद मऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 445/2020 धारा 307, 120बी भा0द0वी0 एवं मु0अ0सं0 448/20 धारा 115 भादवि में वांछित दुर्दान्त हत्यारा/शातिर लुटेरा व रू0 25,000/– के इनामी अपराधी राम सागर यादव उर्फ बजरंगी को थाना कोतवाली क्षेत्र, जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

राम सागर यादव उर्फ बजरंगी, पुत्र कालीदीन यादव, निवासी ग्रा0 गोरई, थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी का विवरण

1– 01 अदद मोटर साईकल अपाचे (यूपी–44 बीए–3729)

2– 01 अदद आधार कार्ड।

3– 01 अदद वोटर कार्ड।

4– 02 अदद मोबाइल फोन।

5– 700 रु0 नगद।

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान–

दिनाँक 06.01.2021 समय 12 बजे दोपहर, कचहरी रोड, थाना कोतवाली नगर, सुलतानपुर (उ0प्र0)

विगत काफी दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 06.01.2021 को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि ईनामी अपराधी राम सागर यादव उर्फ बजरंगी थाना मधुबन, जनपद–मऊ के मुकदमों में वांछित है,

जिस पर रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित है। अपने किसी साथी से मिलने थाना कोतवाली क्षेत्र जनपद सुलतानपुर आने वाला है, इस सूचना पर एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ से उ0नि0 श्री षिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज सिंह, मु0आ0 सुधीर सिंह, राजकुमार षुक्ला, आरक्षी रमेष उपाध्याय, सत्यप्रकाष वर्मा, अमित कुमार की एक टीम गठित कर जनपद सुलतानपुर के लिए रवाना की गयी। एसटीएफ टीम जनपद सुलतानपुर पहुंचकर अपने कार्य कुषलता एवं एसटीएफ की विषेषताओं के आधार पर कचहरी रोड थाना क्षेत्र कोतवाली, सुलतानुपर से वांछित अपराधी उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है तथा अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ तथा जेल में निरुद्ध रहते हुए कई हत्या की घटनाओं को दुस्साहसिक ढंग से अंजाम दिया है। इसके गिरोह में कुख्यात भाड़े के हत्यारे फहीम, संजय मानापुर, शहनवाज कुरैशी, रोहित गुप्ता, रमाकांत यादव आदि शामिल है।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसने स्वयं अपने साथियों के साथ और जेल में रहते हुए वर्ष 2005 में अपने आपराधिक गुरु राधे यादव की हत्या का बदला हत्या से लेने के उद्देष्य से अपने साथियों के साथ चंद्रपाल तिवारी, निवासी पसियापारा की कामतागंज बाजार, थाना अखण्डनगर सुलतानपुर में गोली मार कर हत्या कर दी थी।

वर्ष 2012 में मौर्या भट्ठा मालिक की हत्या अपने साथी और मौर्या भट्ठा मालिक के भतीजे मनीष मौर्या के कहने पर थाना कन्द्रापुर सुलतानपुर में दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी थी। वर्ष 2015 में अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य प्रदीप सिंह, फहीम, विजयपाल के साथ मिल कर प्रदीप के सगे चाचा की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

वर्ष 2015 में थाना बल्दीराय बाजार, सुलतानपुर में अपने साथियों फहीम, प्रदीप आदि के साथ मिलकर जमील की दिनदहाड़े गोली मार की हत्या कर दी थी।

वर्ष 2016 में जेल में निरुद्ध रहते हुए रामनगर बाजार, अम्बेडकर नगर में अपने साथियों शहनवाज कुरैशी, रोहित गुप्ता, और रमाकांत यादव से बालू की खदान के विवाद में चर्चित बेचन सिंह हत्याकांड को दुस्साहसिक तरीके से अंजाम दिलवाया।

वर्ष 2016 में ही जेल में निरुद्ध रहते हुए अभियुक्त उपरोक्त ने कोइरीपुर बाजार थाना चांदा सुल्तानपुर में दिनदहाड़े मौर्या भट्ठा मालिक के सगे भाई की हत्याकांड को अपने साथियों से दुस्साहसिक तरीके से अंजाम दिलवाया।

आपराधिक इतिहास रामसागर यादव उर्फ बजरंगी

1— अ0सं0— 357/05, धारा— 302, 506 भादवि, थाना दोस्तपुर, सुलतानपुर।

2— अ0सं0— 587/07, धारा— 380,411 भादवि व 3(1) यूपी गैंग0एक्ट, अखण्डनगर, सुलतानपुर।

3— अ0सं0— 126/12, धारा— 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना— दोस्तपुर, सुलतानपुर।

4— अ0सं0— NIL/12, धारा— 41/411 भादवि, थाना— दोस्तपुर, सुलतानपुर।

5— अ0सं0— 44/12, धारा— 110 गुंडा एक्ट, थाना— दोस्तपुर, सुलतानपुर।

6— अ0सं0— 1219/12, धारा— 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

7— अ0सं0— 1217/12, धारा— 307 भादवि थाना— रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

8— अ0सं0— 172/12, धारा— 302, 120बी भादवि, थाना— कन्धरापुर, आजमगढ़।

9— अ0सं0— 265/12, धारा—147,148,149,302,307 भादवि एवं 07 सीएलए एक्ट, कन्धरापुर, आजमगढ़।

10— अ0सं0— 228/12, धारा— 356 भादवि, थाना— गम्भीरपुर, आजमगढ़।

11— अ0सं0— 559/12, धारा— 394 भादवि, थाना— अतरौलिया, आजमगढ़।

12— अ0सं0— 228/13, धारा— 3(1) यूपी गैंग0 एक्ट, थाना—कन्धरापुर, आजमगढ़।

13— अ0सं0— 480/13, धारा—147, 148, 149, 302, 307, 504, 506 भादवि, थाना— दोस्तपुर, सुलतानपुर।

14— अ0सं0— 414/14, धारा— 395,397,412,120बी भादवि थाना शाहगंज, जौनपुर।

15— अ0सं0— 128/15, धारा— 302, 120बी, 34 भादवि थाना—गोसाईगंज, सुलतानपुर।

16— अ0सं0— 277/15, धारा— 302, 506 भादवि थाना—चांदा, सुलतानपुर।

17— अ0सं0— 89/15, धारा— 302, 120बी भादवि थाना—बल्दीराय, सुलतानपुर।

18— अ0सं0— 244/15, धारा— 302, 120बी भादवि थाना—बल्दीराय, सुलतानपुर।

19— अ0सं0— 263/15, धारा— 394,120बी भादवि थाना—करौंदीकलां सुलतानपुर।

20— अ0सं0— 197/15, धारा— 307 भादवि थाना—कैन्ट, लखनऊ।

21— अ0सं0— 137/15, धारा— 307 भादवि थाना—बेवाना, अम्बेडकरनगर।

22— अ0सं0— 41/16, धारा— 302, 506,120बी भादवि थाना—चांदा, सुलतानपुर।

23— अ0सं0— 64/16, धारा— 3/25 भादवि थाना—दोस्तपुर, सुलतानपुर।

25— अ0सं0— 445/2020, धारा— 307, 120बी भा0द0वी0 थाना मधुबन, जनपद मऊ।

जनपद बिजनौर /थाना चॉदपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिले,**
- **02 अवैध तमंचे, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **लूट का 05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 07.01.2021 को थाना चॉदपुर की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डी समिति चॉदपुर के पीछे बने खण्डहर आवास से पुलिस कार्यवाही के दौरान 04 अभियुक्त 1–चन्द्रशेखर 2–छबिराम 3–गौरव 4– अमन को गिरफ्तार किया गया । एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 09 मोटर साइकिले 02 अवैध तमंचे, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, लूट का 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो में चोरी/लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चॉदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–चन्द्रशेखर निवासी ग्राम भैडा भरतपुर थाना नौगावां जनपद अमरोहा ।

2–छबिराम निवासी कुमराला थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

3–गौरव निवासी मूंढा मुकारी थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा।

4– अमन निवासी लखौरी थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगीः–

1–चोरी की 09 मोटर साइकिले,

2– लूट के 05 मोबाइल फोन,

3–02 अवैध तमंचा 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद।

जनपद सीतापुर/थाना थानगॉव

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 07.01.2021 को थाना थानगॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुड़ैचा चौराहा से पुरस्कार घोषित अपराधी अजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना थानगॉव पर पंजीकृत मु0अ0सं0–215/2017 धारा 406/420 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना थानगॉव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

अजय निवासी बरौना थाना पीजीआई जनपद लखनऊ, वर्तमान पता मोहल्ला अमरनगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अहार

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट की सोने की 05 अंगूठी,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 06.01.2021 को थाना अहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पौटा खनौदा मार्ग गन्ना सेन्टर के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी सोने की 05 अंगूठी, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–1169/2020 धारा 394 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

अमित निवासी खनौदा थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी—:</u>

1—लूटी गयी सोने की 05 अंगूठी,

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस कारतूस

<u>जनपद कौशाम्बी / थाना मंझनपुर</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 06.01.2021 को थाना मंझनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पालिका पैलेस मंदिर मार्ग नई दिल्ली से पुरस्कार घोषित अपराधी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मंझनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—352 / 2019 धारा 406 / 420 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

अभिषेक कुमार निवासी आसिफपुर नगलिया जनपद बुलन्दशहर।

——————————